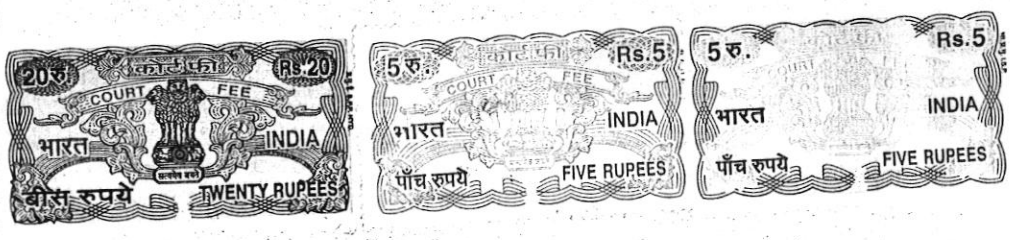

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–अशोकनगर

निगरानी– 6189/2018/अशोकनगर/भू.रा.

मिठठू सिंह मृतक द्वारा विधिक वारिसान
1 बलराम सिंह पुत्र स्व. मिठठ् सिंह
2 गोविन्द सिंह पुत्र स्व. मिठठ् सिंह
निवासीगण – ग्राम कुकावली तहसील मुंगावली जिला – अशोकनगर (म0प्र0)
—— आवेदकगण

श्री ... अधि. द्वारा आज दि. 27.10.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10.11.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

शेर सिंह पुत्र रामरतन दांगी
निवासी – ग्राम कुकावली तहसील मुंगावली जिला – अशोकनगर (म0प्र0)
—— अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

27/10/18

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही एवं आदेश आवेदकगण के विरूद्ध पारित किया गया है, वह विधिवत एवं प्रक्रिया के अनुसार नहीं होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा आवेदकगण को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–अशोकनगर/भू.रा./2018/6189

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 27 बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 9–8–18 के विरूद्ध है। अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा पारित आदेश अंतिम स्वरूप का आदेश है जिसके विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त को होगी। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई-योग्य नहीं है। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय से न्याय पाने हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। सदस्य	